

आदेश पत्रक

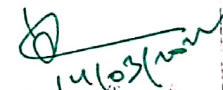
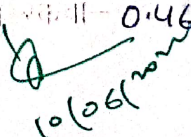
(देशी अंगित्वन संस्करण 1941 नियम 129)

आदेश पत्र-110 शीट संक

जिला- सरावकेला सरसावों से सं-20.....

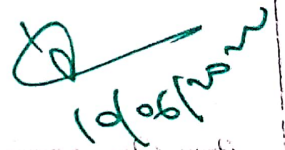
केस का प्रकार विविध वाद 46/2022-23

विषय - "Online पंजी 11 में मुद्रित निराकरण"

आदेश की तिथि	आदेश का विवरण	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
14/3/22	अविश्वक नौ / मौजा <u>शुक्रपद नापित उर्फ</u> <u>मौजा तनु प्रमाणिक</u> निवासी <u>औड़िया</u> मातृ पंजीकरण प्रमाणिक नामा नौमडीह प्रमाणिक- नौमडीह के द्वारा मौजा <u>केतुंगा</u> नामा सं- 299 खाता सं- 03 खेसरा सं- 046 एवं अन्य खेसरा में सुधार हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में अभिलेख संघारित की गई। संबंधित सचिव उपनिरीक्षक से उक्त मामले की स्पष्ट जॉय प्रतिवेदन अंतर्गत निरीक्षक के माध्यम से स्पष्ट मंजूरी के साथ समर्पित करें। अभिलेख दिनांक 8/6/2022 को उपस्थापित करें।  अवल अधिकारी नौमडीह	
8/6/22 10/6/22	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित उपनिरीक्षक याद कपारी अंतर्गत निरीक्षक या जॉय प्रतिवेदन प्राप्त है। उपनिरीक्षक नामा उक्त द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि मौजा- <u>केतुंगा</u> मातृ सं- 299 खाता सं- 03 खेसरा सं- 749 रकबा 0.46 एकर कुल रकबा 0.46 एकर है। हल्का कार्यालय में संघारित मौजा <u>केतुंगा</u> से संबंधित पंजी- II के Vol-1 Page No. 298 का जॉय किया, निरामे गया कि खेसरा सं- 749 कुल रकबा 0.46 एकर है। के माध्यम से रकबा 0.46 एकर  10/06/22	

को राजस्व उपनिरीक्षक राउ प्रभाशे अवल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन एवं अनुशसा के आनोह में ऑनलाइन पूरे निराकरण कर।

अतः उक्त अनुशसा के आधार पर विभागीय पत्रांक-5239/रा0 दिनांक-30.07.2017 के कम्पिडन 4(ii) के अक्षरशः अनुपालन करते हुए ऑनलाइन पंजी-11 के सुधार हेतु आदेश निर्गत करें।



अवल अधिकारी
नीमडीह